

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 159/2009
संस्थित दिनांक- 20.12.2008

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी

.....अभियोजन

वि रू द्ध

ओंकार पिता मला धनगर, उम्र 30 वर्ष,
निवासी ठीकरी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त द्वारा	- श्री जे.पी. गुप्ता अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 15/06/2017 को घोषित)

1- पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 307/2008 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 22.04.2008 को दिन के लगभग 11:00 बजे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अंजड के निष्पादन प्रकरण क्र. 15ए/1X8/03 गोविंद विरुद्ध बाबु में दि. 11.01.08 को उसे सुपुर्दगी पर दी गई सम्पत्ति छत का पंखा ओरियंटल कंपनी का कीमती रुपये 400, एक पंलग लोहे का कीमती रुपये 350, एक साईकिल एटलस चालु हालत में कीमती रुपये 600, एक पोर्टेबल ब्लेक एंड व्हाइट टी.वी. कीमती रुपये 1200, एक दीवार घड़ी अजंता कंपनी की कीमती रुपये 50 को अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर न्यास भंग करने के लिए भा.द.स. की धारा 406 का आरोप है।

2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

3- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.08 को सिविल न्यायालय अंजड के तत्कालीन न्यायाधीश श्री विवेक श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी ठीकरी को यह लेखी में रिपोर्ट की कि आरोपी ने उनके न्यायालय में दीवानी प्र.क्र 15ए/1X8/03 गोविंद विरुद्ध बाबु में नि. ऋणी बाबु पिता गोविंद को इस न्यायालय के आदेश दि. 11.01.2008 में जारी किये गये कुर्की वारंट के अनुसार कुर्क की गई सम्पत्ति को सुपुर्दगी पर दि. 20.01.08 को प्राप्त किया था, लेकिन न्यायालय द्वारा सूचना पत्र देने के बाद भी उसने उक्त सम्पत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार आरोपी ने उसे सुपुर्दगी पर दिये गये माल के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया जो भा.द.स. की धारा 406 का अपराध है। अतः आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाए।

उक्त प्रदर्श पी 6 की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्र. 307/08 दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4- उक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-406 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है। दं.प्र.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है, आरोपी को अपने बचाव में प्रवेश कराये जाने पर, आरोपी ने बचाव साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5- विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.04.2008 को दिन के लगभग 11:00 बजे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अंजड के निष्पादन प्रकरण क्र. 15ए/1X8/03 गोविंद विरुद्ध बाबु में दि. 11.01.08 को उसे सुपुर्दगी पर दी गई सम्पत्ति छत का पंखा ओरियंटल कंपनी का कीमती रुपये 400, एक पलंग लोहे का कीमती रुपये 350, एक साईकिल एटलस चालु हालत में कीमती रुपये 600, एक पोर्टेबल ब्लेक एंड व्हाइट टी.वी. कीमती रुपये 1200, एक दीवाल घड़ी अजंता कंपनी की कीमती रुपये 50 को अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर न्यास भंग किया
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

---:: विचारणीय प्रश्न क्र. 1 पर सकारण - निष्कर्ष ::---

6- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में विजय उपाध्याय (अ.सा.1) का कथन है कि वह दि. 27.02.2008 को वह सिविल न्यायालय अंजड में नायब नाजिर के पद पर पदस्थ था, उस समय पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव थे। नायब नाजिर के रूप में उसका काम था कि न्यायालय द्वारा जारी किये गये सिविल आदेशिका, समंस एवं वारंट को तामील के लिए भेजना तथा आदेशिका वाहक से उक्त तामिली को वापस प्राप्त करना, इस संबंध में अंजड न्यायालय में आदेशिका वाहक के रूप में कमल पंवार पदस्थ थे, उसने न्यायालय द्वारा जारी की गई आँकार पिता मला धनगर, निवासी ठीकरी को सिविल निष्पादन प्र. क्र. 15ए/01 में उसके विरुद्ध जारी सुपुर्दगी का सूचना पत्र तामीली कराने के लिये आदेशिका वाहक कमल पंवार को दिया था तथा कमल पंवार ने उसे दि. 27.02.2008 को यह प्रतिवेदन दिया था कि उसने न्यायालय को सूचना पत्र दि. 22.02.08 को आँकार पर तामील कराया है, उस तामील रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में पेश की है जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर प्राप्ति स्वरूप उसके हस्ताक्षर है।

7- साक्षी का यह भी कथन है कि आदेशिका वाहक कमल पंवार उक्त निष्पादन प्रकरण में जप्त सम्पत्ति आरोपी को दि. 28.01.08 को सुपुर्दगी पर दी थी तथा उसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 पेश किया था, जिसक ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आदेशिका वाहक कमल पंवार ने जो प्रतिवेदन दिया था, उसने उस पर हस्ताक्षर अंजड़ न्यायालय में अपनी सीट पर किये थे।

8— कमल पंवार (अ.सा.2) का कथन है कि वह वर्ष 2008 को अंजड़ न्यायालय में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ था। उसे अंजड़ न्यायालय के नाजिर से व्यवहार न्यायालय अंजड़ के सिविल वाद क्र. 15ए/1X8/03 का कुर्की वारंट तामीली हेतु नि. ऋणी बाबु पिता गोविंद से धन राशि रुपये 3,255 की वसूली हेतु उसके कब्जे में रखी गई सम्पत्ति को कुर्क करने के संबंध में प्राप्त हुआ था, जो प्रदर्श पी 2 है। उसने कुर्क वारंट के पालन में नि. ऋणी बाबु के मकान पर जाकर उक्त धन रुपये चुकाने के लिये कहा था। उसके द्वारा रुपये नहीं चुकाने पर उसने एक ओरिएंटल कंपनी का छत पंखा, एक लोहे का पलंग, एक साईकिल एटलस कंपनी की, एक पोर्टेबल ब्लेक एवं व्हाइट टी.व्ही, एक अजंता कंपनी की घड़ी को वारंट के पालन में जप्त किया था, व जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 3 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तशुदा सम्पत्ति दि. 20.01.2008 को आरोपी को सुपुर्दगी पर इस शर्त पर दी गई थी कि सम्पत्ति को न्यायालय में बुलाये गये समय व स्थान पर पेश करेगा, जिसका सुपुर्दगीनामा उसने प्रदर्श पी 4 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि बाबुलाल की चाय की दुकान है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही बाबुलाल की दुकान पर की थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि चाय की दुकान पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने चाय की दुकान पर पंचनामा बनाकर पंचों के हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि माल घर से जप्त किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि नि. ऋणी ने आँकार को कहा था कि हस्ताक्षर कर दे वह देख लेगा। साक्षी ने प्रदर्श पी 4 की लिखा-पढ़ी चाय की दुकान पर करना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि सुपुर्दगीनामे की कार्यवाही घर पर हुई थी और हस्ताक्षर चाय की दुकान पर करवाये थे।

10— एस.आर. चौपड़ा (अ.सा.3) का कथन है कि दि. 22.04.2008 को थाना ठीकरी में न्यायालय के आदेश से अपराध क्र. 309/08 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध दर्ज की थी जो प्रदर्श पी 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा न्यायालय का आदेश प्रदर्श पी 6 है।

11— शुभनारायण (अ.सा.4) का कथन है कि दि. 03.12.08 को वह थाना ठीकरी में प्रधार आरक्षक के पद पर पदस्थ था। थाने के अपराध क्र. 309/08 की विवेचना के दौरान उसने साक्षी गजराज, कमल पंवार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये हैं।

12— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जप्त किया गया माल आदेशिका वाहक द्वारा आरोपी को सुपुर्दगी पर नहीं दिया गया था और आरोपी ने नि. ऋणी के कहने से केवल सुपुर्दगीनामे पर हस्ताक्षर किये थे जो पंचनामा चाय की दुकान

पर बताया था। ऐसी स्थिति में चूंकि आरोपी को न्यायालय के आदेश से सम्पत्ति सुपुर्दगी पर देना प्रमाणित नहीं होता है। अतः आरोपी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।

13— यह सही है कि कमल पंवार (अ.सा.2)स ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि औंकार ने नि. ऋणी के कहने से हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन उक्त साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि सम्पत्ति आरोपी को सुपुर्दगी पर नहीं दी गई थी अथवा उसने सम्पूर्ण कार्यवाही चाय की दुकान पर की है। कमल पंवार (अ.सा.2) ने आरोपी को निष्पादन प्रकरण क्र. 15ए/1X8/03 गोविंद विरुद्ध बाबु में जप्त सम्पत्ति सुपुर्दगी पर दिये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है तथा उक्त सुपुर्दगी की कार्यवाही का पंचनामा एवं प्रतिवेदन उसके द्वारा विजय उपाध्याय (अ.सा.1) को प्रस्तुत किया गया था, जिसने भी कमल पंवार (अ.सा.2) के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया है। आरोपी को उक्त सुपुर्दगी में प्राप्त की गई सम्पत्ति न्यायालय में पेश करने के लिये सूचना पत्र न्यायालय द्वारा जारी किया गया था और उक्त सूचना पत्र तामील होने के बाद भी आरोपी ने उक्त सम्पत्ति न्यायालय में पेश नहीं की। आरोपी ने सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 4 एवं जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है। कमल पंवार (अ.सा.2) एवं विजय उपाध्याय (अ.सा.1) न्यायालय के कर्मचारी होकर लोक सेवक हैं, उनकी आरोपी से ऐसी कोई रंजिश होना बचाव पक्ष ने प्रमाणित नहीं की है, जिससे यह माना जा सके कि आरोपी के विरुद्ध उक्त दोनों साक्षीगण ने असत्य कार्यवाही की है अथवा वह असत्य कथन कर रहे हैं। इस घटना की लेखी रिपोर्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव ले लिखित रूप में प्रदर्श पी 6 की थाने पर दी थी, जिसके आधार पर उक्त अपराध दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि अंजड़ न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश श्री विवेक श्रीवास्तव द्वारा उक्त न्यायिक कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया गया है।

14— अतः उक्त विवेचना के आधार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि आरोपी औंकार पिता मला धनगर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ठीकरी ने न्यायालय के सिविल न्यायालय अंजड़ के निष्पादन प्रकरण क्र. 15ए/1X8/03 गोविंद विरुद्ध बाबु में दि. 11.01.08 को उसे सुपुर्दगी पर दी गई चल सम्पत्ति को न्यायालय द्वारा सूचना पत्र देने के बाद भी न्यायालय में वापस नहीं देकर उक्त सम्पत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है, जो भा.द.स. की धारा 406 का अपराध है। अतः यह न्यायालय उक्त अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 406 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

15— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

पुनश्चः

16— सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया, उनका तर्क है कि अभियुक्त गरीब, ग्रामीण एवं अशिक्षित व्यक्ति है, उससे अज्ञानता के कारण यह अपराध हुआ है तथा विचारण का लम्बे समय से सामना कर रहा हैं, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

17— यह सही है कि अभियुक्त गरीब, ग्रामीण एवं अशिक्षित व्यक्ति है तथा आरोपी लंबे समय से विचारण का कर रहा है, आरोपी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अभियुक्त को न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित करना उचित प्रतीत होता है ।

18— अतः यह न्यायालय अभियुक्त औंकार पिता मला धनगर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ठीकरी को भा.द.स. की धारा-406 के अपराध में दोषी ठहराते हए 15 दिन के सश्रम कारावास तथा रुपये 1,00 /—(अक्षरी सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 3 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।

19— आरोपी इस प्रकरण में दि. 05.12.08 से लेकर 08.12.08 एवं 23.04.11 से लेकर दि. 07.05.11 तक अभिरक्षा में रहा है, निरोध अवधि को दंप्रसं की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार दी गई सजा में से मुजरा कराने का पात्र है, तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत् धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र जारी किया जावे ।

20— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

21— प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.